Public Notice

In compliance to the provision under section 61, 62 and 86 (1)(a) of the Electricity Act, 2003 read with (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation, 2015 and 2021, M/s Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL) has filed a petition no. 16/2023 before Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), for determination of ARR for FY 2023-24 along with revised estimate of FY 2022-23 and true-up of the year FY 2021-22 for its licensed transmission business.

In the petition, M/s JSPL has requested the Commission to approve true-up of ARR of Rs. 754.64 lakh for FY 2021-22, revised estimated of Rs. 609.65 lakh for FY 2022-23 and estimated ARR of Rs. 618.92 lakh for FY 2023-24.

Interested persons may submit objections/suggestions to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG) , Email - cserc.sec.cg@nic.in and/or to Mr. Z. Ali, AGM, Electrical Power System, Jindal Steel & Power limited, Post Box No. 16 Kharsia Road, Raigarh – 496001 within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is available on any working day between 11 AM to 4 PM in the Commission office on payment of Rs 200/-. The copy of the petition may also be obtained by post an additional payment of Rs 50/- towards postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

M/s Jindal Steel & Power Ltd.
Tamnar, Distt. - Raigarh - 496107

आमसूचना

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (JSPL) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 एवं 86(1)(ए) सहपठित बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें'' विनियम, 2015 एवं 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका क्रं. 16/2023 प्रस्तुत की है।

M/s JSPL द्वारा उक्त याचिका में वित्तीय वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप हेतु रूपये 754.64 लाख, वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान हेतु रूपये 609.65 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु रूपये 618.92 लाख को मान्य करने हेतु अनुरोध किया है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति, इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेलः cserc.sec.cg@nic.in एवं/या श्री जेड. अली (एजीएम) इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम, जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के कार्यालय पोस्ट बॉक्स नं.16, खरसिया रोड, रायगढ़, पिन 496001 (छ.ग.) के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

इस आम सूचना एवं याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की प्रति मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन सिंचाई कालोनी शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी ।

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड,
तमनार, जिला– रायगढ़ –496107